3/यो0स०क०-31/2022 05

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -8-1-2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2024-25 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के तहत राज्य स्कीम मद में कुल रू. 32116.00 लाख (रू. तीन सौ इक्कीस करोड सोलह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2024-25 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के संचालनार्थ राज्य स्कीम मद के सामान्य घटक में रू. 24086.92 लाख तथा विशेष घटक मे रू. 8029.08 लाख अर्थात कुल रू. 32116.00 लाख (रू. तीन सौ इक्कीस करोड सोलह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना – सामान्य घटक	(51-2235021020117)	0117.34.01,	24086.92
	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना – विशेष घटक	(51-2235027890103)	0103.34.01	8029.08
कुल योग : (तीन सौ इक्कीस करोड सोलह लाख रू०)				**32116.00**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 3151/वि0 दिनांक 31.03.23**, 214/**वि० दिनांक 06.03.2024, **730/**वि० दिनांक 19.12.2**024** एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-31/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या **09/**टि0 पर दिनांक 13.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-31/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या **13.**/टि0 पर दिनांक- 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-31/2022 05 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

05 - 8-1-2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

05 8-1-2025

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ह० 8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

05 - 8-1-2025

प्रतिलिपि –अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।